उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 32/2022

जितेन्द्र सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं गोपाल करमाली

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
03.02.2023	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी जितेन्द्र सिंह, पिता–स्व० अलखदेव सिंह सा०–हुरूमगढा, भुरकुण्डा, थाना–पतरातू, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 30/2019–20/137/2020–21 गोपाल करमाली बनाम जोगेन्द्र सिंह वगै० में दिनांक–21.02.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S – 215(5) C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–देवरिया बरगाँवा, खाता सं०–10, प्लॉट सं०–798, रकवा–1.02 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–देवरिया बरगाँवा, खाता सं०–10, प्लॉट सं०–798, रकवा–1.02 ए० भूमि सर्वे खतियान में खैटा करमाली वल्द अकला करमाली कौम करमाली के नाम से रैयती दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि सादा केवाला दिनांक–09.09.1952 के आधार पर दावा करते है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–देवरिया बरगाँवा के पंजी–II के पृ०सं०–15/I में खाता सं०–10, प्लॉट सं०–798, रकवा–1.02 ए० का जमाबंदी अन्दु करमाली, पिता–खैटा करमाली के नाम से कायम है। अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का मकान एवं सहन है एवं द्वितीय पक्ष उक्त भूमि से 08–10 वर्ष से बेदखल है, भू–वापसी की कार्रवाई की जा सकती है। अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा अपीलाथी की जमाबंदी के संबंध में किसी तरह का प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। परंतु अपीलार्थी के द्वारा 2020–21 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे संदेह उत्पन्न होता है। उक्त भूमि अपीलार्थी को सादा अनिबंधित कागजात द्वारा प्राप्त है। अपीलार्थी के द्वारा बतलाया गया है की उक्त भूमि उन्हें सादा केवाला के आधार पर प्राप्त हुआ है। लेकिन सादा अनिबंधित कागजात को न्यायालय के द्वारा वैध कागजात नहीं माना जाता है। साथ ही साथ अपीलार्थी का	

कहना है कि पूर्व में भी खतियानी रैयतों के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में भू–वापसी दायर किया गया था लेकिन सभी न्यायालयो के द्वारा भू–वापसी आवेदन खारिज किया गया है। इसलिए यह मामला Resjudicata का बनता है। इसलिए अपीलार्थी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या 30/2019–20/137/2020–21 में दिनांक–21.02.2022 को पारित ओदश को खारिज करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण जमीन गैर आदिवासी को किस बैध कागजात से हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–देवरिया बरगाँवा के पंजी–II के पृ०सं०–15/I में खाता सं०–10, प्लॉट सं०–798, रकवा–1.02 ए० का जमाबंदी अन्दु करमाली, पिता–खैटा करमाली के नाम से कायम है। अपीलार्थी के द्वारा सादा अनिबंधित कागजात के द्वारा भूमि प्राप्ति का दावा करते है। उक्त कागजात को न्यायालय के द्वारा वैध कागजात नहीं माना जाता है। अपीलार्थी का यह कहना की पूर्व में भी विभिन्न न्यायालयों में खतियानी रैयतों के द्वारा दायर भू–वापसी आवेदन खारिज किया गया है। लेकिन उनके द्वारा समर्पित आदेशों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पूर्व का आदेश में आवेदन खारिज करने का कारण बेदखली की अवधि 12 वर्ष से अधिक यह Resjudicata को माना गया है। लेकिन वर्त्तमान में अचंल अधिकारी पतरातू के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आदिवासी को भूमि से 08–10 वर्ष से बेदखल किया गया है। अर्थात गैर आदिवासी के द्वारा गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद 30/2019–20/137/2020–21 गोपाल करमाली बनाम जोगेन्द्र सिंह वगै० में दिनांक–21.02.2022 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46–4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

माधवी मिश्रा
03.02.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
03.02.2023
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.02.17 14:39:27 +05:30
Location: 192.168.0.13